

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2026

**थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़**

धर्मांतरण संबंधी अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा धर्मांतरण संबंधी अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार सरोज को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहरिया मोड तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम बहरिया अहिना, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मान्धाता पर तहरीरी सूचना प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि नामजद अभियुक्तगण द्वारा प्रवचन, प्रलोभन एवं दबाव/दबंगई के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास/कृत्य किया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 40/2026, धारा 3/5(1)/11 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव, का0 पंकज साहू व म0का0 प्रीती मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 3/5(1)/11 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार सरोज पुत्र बसन्तलाल सरोज निवास ग्राम बहरिया अहिना थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहरिया मोड तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजेश कुमार सरोज पुत्र बसन्तलाल सरोज निवास ग्राम बहरिया अहिना थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव, का0 पंकज साहू व म0का0 प्रीती मिश्रा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ प्रतापगढ़।**

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

प्रतापगढ़ पुलिस को मिली सफलता; अवैध 01 एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 01 शातिर अभियुक्त रेहान शेख को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत करेंटी रोड रेलवे क्रांसिग के पास से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ०नि० जयप्रकाश सिंह मय हमराह उ०नि० चन्द्रबली सिंह, उ०नि० दुर्गेश सिंह, उ०नि० निर्मल कुमार, रि०का० शेखर कुमार, रि०का० कुमार शिव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत करेंटी रोड रेलवे क्रांसिग के पास से 01 अभियुक्त रेहान शेख पुत्र मेराज अहमद निवासी पूरेशाह करमअली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को 01 एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कुण्डा में मु०अ०सं० 171/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रेहान शेख पुत्र मेराज अहमद निवासी पूरेशाह करमअली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० जयप्रकाश सिंह मय हमराह उ०नि० चन्द्रबली सिंह, उ०नि० दुर्गेश सिंह, उ०नि० निर्मल कुमार, रि०का० शेखर कुमार, रि०का० कुमार शिव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत सेतापुर प्राथमिक विद्यालय के पास बाग से किया गया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अदद तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2026 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मरगूपुर निवासिनी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि खेत में स्थित बबूल के पेड़ को काटने के विवाद को लेकर प्रार्थिनी के देवर विजय सरोज के साथ विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। आरोप है कि आदर्श सरोज द्वारा कुल्हाड़ी से विजय सरोज के सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया गया तथा बीच-बचाव करने आए अन्य परिजनों के साथ भी लाठी-डंडे एवं धारदार हथियार से मारपीट की गई। घटना के उपरांत आदर्श सरोज तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। उक्त संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0-129/26 धारा 110, 115(2), 352, 3(5) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार का0 कैलाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-129/26 धारा 110, 115(2), 352, 3(5) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा से संबंधित 01 अभियुक्त आदर्श सरोज पुत्र अनिल सरोज निवासी ग्राम मरगूपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत सेतापुर प्राथमिक विद्यालय के पास बाग से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. आदर्श सरोज पुत्र अनिल सरोज निवासी ग्राम मरगूपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार का0 कैलाश यादव थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा "दुष्कर्म" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अमीर हमजा को गिरफ्तार किया गया-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैलीडीह उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल व का0 रामनिवास द्वारा, देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 70(2)/351(3)/352 BNS व 5g/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द/3(1)ध/3(2)V SC/ST ACT थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमीर हमजा पुत्र मढल्लू उर्फ मो0 इरफान निवासी ग्राम कैलीडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैलीडीह उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमीर हमजा पुत्र मढल्लू उर्फ मो0 इरफान निवासी ग्राम कैलीडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल व का0 रामनिवास थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।